Case No. OA-IIu/BPL/320/2019

रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ. / भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/320/2019
दावा पंजीकरण तिथि : 25-11-2019
आदेशार्थ रखने की तिथि : 25th September, 2024
आदेश तिथि : 04th October, 2024

1) श्रीमती पेपाबाई पत्नी स्व0 श्री मोहनलाल,
2) राकेश पिता स्व0 श्री मोहनलाल,
3) रामप्रसाद पिता स्व0 श्री मोहनलाल,
4) सुनील पिता स्व0 श्री मोहनलाल,
निवासी–ग्राम व पोस्ट मडावदा,
थाना व तहसील–खाचरौद, जिला–उज्जैन (म0प्र0)
5) श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री गोपाल,
निवासी–ग्राम सुतलाना, पोस्ट–सिमलावदा,
जिला–रतलाम (म0प्र0)

...............आवेदक

विरूद्ध

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुम्बई (महा0)

............रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : आनन्द किशोर ओझा, आवेदक–अधिवक्ता
श्री एच.एस. राजपूत, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति / पिता मृतक *मोहनलाल पिता अम्बारामजी* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 60 वर्षीय मृतक मजदूरी करता था एवं दिनांक 09.12.2018 को शाम 06 बजे के आसपास नागदा–बीना पैसेन्जर ट्रेन से नागदा से भाटीसुडा तक का उचित सेकण्ड क्लॉस जनरल टिकट संख्या–89714195 के आधार पर यात्रा करते समय ट्रेन में अत्याधिक भीड होने के कारण मृतक अपने गंतव्य स्टेशन पर नहीं उतर पाया और ट्रेन स्टार्ट होने से लगे झटके एवं गुरूत्वाकर्षण बल के कारण वह भाटीसुड़ा रेलवे स्टेशन के आगे चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गिरकर दो भागों में कट जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई. सूचना प्राप्त होने पर बिरलाग्राम, नागदा पुलिस द्वारा प्रकरण को 46 / 2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की गई. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनपेक्षित इंसीडेन्ट में मृतक पति / पिता की मृत्यु हो जाने से पत्नी व संतान के तौर पर आवेदकगण आश्रित होने से रेस्पाडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

निरंतर............2 / पर

3. रेस्पाडेन्ट रेलवे ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जांच जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में दावे का विरोध करते हुए यही कहा है कि मृतक के पास यात्रा का कोई टिकट नहीं मिला है तथा भटीसुड़ा किलोमीटर 05/82 पर स्थित है जबकि मृतक का शव स्टेशन के आगे किलोमीटर 06/12 पर पड़ा हुआ पाया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि बिना टिकट भाटीसुड़ा तक गया एवं वहां पर उतरकर लाईन–लाईन अपने लड़के के ससुर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मिलने के लिए जाते समय किसी गाड़ी की चपेट में आकर मृत हुआ है. इस प्रकार मृतक का बिना टिकट यात्रा करना एवं रेलवे ट्रेक पर चलना या पार करना रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 137, 147, 156 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है तथा उसकी यही लापरवाही उसकी मृत्यु का कारण बनी है. अतः मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावे को व्यय के साथ खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of deceased cause due to the said alleged untoward accident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway admistration is protected under section 124 A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants are the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

5. आवेदकों की ओर से कमांक–4 ने साक्षी के तौर पर स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ गाड़ी में बिठाने के साक्षी के तौर पर दशरथ पिता श्री हीरालाल जी को भी शपथपत्र *(AW/2)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-19* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट रेलवे की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉचकर्ता अधिकारी श्री सूर्यभान सिंह, तत्कालीन एसआई/आरपीएफ, इंदौर को भी शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया है. पक्ष–विपक्ष के सभी साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया

6. आवेदकों की ओर से संक्षिप्त में अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जिसमें माननीय सुप्रीमकोर्ट के तीन न्यायदृष्टांतों ((i) UOI Vs Reena Devi CA No. 4995/18, (ii) Pyar Singh Vs UOI 2007 (8) AD Del. 262 and (iii) Nag Laxmi Parvathi Vs. UOI AP High Court refered provisions of evidence act) को रैफर किया गया है

निरंतर.............3/पर

7. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधि[illegible] द्वारा पेश की गई लिखित/मौखिक सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से पढ़/सुन कर [illegible]अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा रैफर किये गये न्यायदृष्टांतों का गंभीरतापू[illegible] [illegible]लोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्[illegible] ::

<u>*इश्यूज कमांक–1 एव 2*</u> :

8. विवरण में सुसंगता स्थापित कर[illegible] [illegible] दोनों इश्यूज पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. रेस्पांडेन्ट रेलवे ने अपनी *रेल [illegible] [illegible]र ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई [illegible] तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, [illegible] निष्कर्ष एवं उपस्थित रेस्पांडेन्ट साक्षी से यह प्रमाणित है कि घटना के समय मृतक अपने [illegible] [illegible]मार ससुर को देखने के लिए भाटीसुड़ा तक की यात्रा कर रहा था. रेस्पांडेन्ट ने अपना [illegible] केवल इस बात तक सीमित रखा है नक्शा–पंचायतनामा (ए–3) में किसी टिकट की [illegible] [illegible]हीं है. अतः बाद में टिकट की जप्ती (ए–6) संदेह को जन्म दे रही है क्योंकि घटना के [illegible] [illegible]तक बिना टिकट यात्रा कर रहा था एवं भाटीसुड़ा स्टेशन पर उतरने के बाद लाईन के कि[illegible] [illegible]नारे चलते समय घटनास्थल पर किसी ट्रेन की चपेट में आकर मृत हुआ है. अतः न तो [illegible] समय बोनाफाइड पैसेन्जर था एवं न ही घटना चलती ट्रेन से गिरने की है.

9. इसका विरोध करते हुए आवेदकों [illegible] से घटना के समय ट्रेन में बिठाने वाले परिचित को साक्षी–*AW/2* के तौर पर कोर्ट के [illegible] [illegible]स्थित कराया है जिसने सशपथ यही कहा है कि मृतक को उसने शाम 06:00 बजे वाली [illegible] में बिठाया था.

10. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों, [illegible] मौखिक एवं लिखित साक्ष्यों तथा रेस्पांडेन्ट की डीआरएम रिपोर्ट का अवलोकन किया [illegible]स्पांडेन्ट द्वारा जो आपत्ति उठाई गयई है वह किसी दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबि[illegible] [illegible] हो पायी है कि घटनास्थल पर मृतक किसी गाड़ी की चपेट में आया था. अतः आवेदक [illegible] सशपथ किया गया कथन विश्वसनीय साबित होता है कि मृतक भीड की वजह से अप[illegible] [illegible] स्टेशन–भाटीसुडा में उतर नहीं पाया होगा एवं घटनास्थल पर वह चलती ट्रेन से दु[illegible] नीचे गिर गया होगा. रेस्पांडेन्ट की ओर से टिकट की बाद में जप्ती पर किया गया [illegible] भी विपरीत साक्ष्य से खण्डित नहीं किया जा पाया है. वैसे भी माननीय सुप्रीमकोर्ट [illegible] [illegible]करण–Civil Appeal No 8605 of 2024 (Arising out of SLP(C) No 32962 of 2018) Doli Rani [illegible] .... Versus Union of India ....के पैरा कमांक–13 एवं 14 में साफ तौर पर यह अवधारि[illegible] [illegible] दिया है कि घटना के समय मृतक के टिकट खरीदकर यात्रा करने का सशपथ कथन [illegible] पर विपरीत साक्ष्य से घटना के समय मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था एव घटना [illegible] [illegible]वर्ड इंसीडेन्ट के बाहर की होने को साबित करने का उत्तरदायित्व अब रेस्पांडेन्ट पर [illegible] हो गया है, जिसे रेस्पांडेन्ट की ओर से किसी भी मौखिक अथवा लिखित गवाही से सा[illegible] किया गया है, अतः अखण्डित रहने से आवेदकों की ओर से उल्लेखित न्यायदृष्टांतों का [illegible] [illegible]कों को देते हुए मैं यही अवधारित

S/d

निरंतर............4/पर

करता हूँ कि घटना के समय मृतक जब्त टिकट के आधार पर ही बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा कर रहा था एवं अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर न पाने के कारण घटनास्थल पर कोच की अत्याधिक भीड़ की वजह से दुर्घटनापूर्वक चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा. इस प्रकार यह घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. तदनुसार इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–3 :

11. घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के तथ्य की घटना होने को रेस्पांडेन्ट साबित नहीं कर पाया है, इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन 124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :

12. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता होने से पत्नी व संतान के तौर पर अभिलेखतः ही आश्रित होने से उन्होंने यह दावा दाखिल किया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों ने मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, रॉशनकार्ड, अपने आधारकार्ड तथा बैंक खाता पासबुक *(A-7 to 19)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. साक्षी के तौर पर उपस्थित होने पर पुत्र ने मृतक को अपना पिता एवं क्रमांक–1 को माता तथा अन्य आवेदकों को मृतक की संतान कहा है. इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं साक्षी के कथन के आधार पर सभी आवेदक *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 B (i)* के अधीन मृतक की पत्नी व संतान के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं.

13. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट दायी है.

14. रेस्पांडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान विशेष तौर पर यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने अपने दावा आवेदन में संदेय प्रतिकर राशि पर *06%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की प्रार्थना की है, अतः यदि प्रस्तुत आवेदकों के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तो संदेय प्रतिकर राशि पर आवेदकों की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए *06%* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाए. रेस्पांडेन्ट का यह तर्क विधि-सम्मत होने से स्वीकार किया जाता है कि सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित की गई *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *09-12-2018* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *06%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज भी संदेय होगा. अतः निर्धारित आश्रित ब्याज सहित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं –

निरंतर.....5/पर

:: आ दे श ::

15. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रित के तौर पर आवेदकों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relation ship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं कॉलम–5 की राशि पर गणित समस्त ब्याज)	As Fixed Deposit (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	श्रीमती पेपाबाई	पत्नी	62	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	राकेश	पुत्र	41	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
3)	रामप्रसाद	पुत्र	37	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
4)	सुनील	पुत्र	36	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
5)	श्रीमती मीराबाई	पुत्री	47	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

16. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *09-12-2018* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *06%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी देय आश्रितों को करेगा.

17. उक्त तालिका के कॉलम संख्या–6 की राशि एवं प्रतिकर राशि पर समस्त देय ब्याज को सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थियों के सीधे खातों में स्थानांतरित की जाएगी जिसे वे तत्काल निकाल सकते हैं एवं कॉलम–7 में दर्शाई गई शेष राशि को लाभार्थी कमांक–1 के नाम से 03 वर्ष के लिए तो शेष लाभार्थियों अर्थात् कमांक–2 से लेकर 5 तक के नाम से 05 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज एफडी होल्डर मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेंगे.

18. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ का रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

19. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/III/2610 dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी मुआवजा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

20. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक की सुविधा नहीं दी जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

21. आवेदकों/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से संबंधित आवेदकों/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त

शेष.....6/पर

सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदकों/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

22. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी. आवेदकों/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

23. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदकों/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को अग्रेषित करेंगे.

24. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* **10064520760** *IFSC Code - SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (M.P.)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

25. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की प्रति आवेदकों/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से संबंधित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदकों/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधार कार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदकों/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

26. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदकों/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ की अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

27. लाभार्थी/आवेदकों को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता उसके नाम पर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खाते के सिवाय)

28. बैंक आवेदकों/लाभार्थियों की सावधि डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेश के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

29. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. प्रकरण-फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

S/D 04/10/2024
(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 04th October, 2024 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

16/10/24

S/D 04/10/2024
(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल